

न्यायाधीशों के लिये सेवानवृत्त के बाद की नयुक्तियों पर बहस

प्रलिस के लिये:

[सर्वोच्च न्यायालय](#), [उच्च न्यायालय](#), [भारत के मुख्य न्यायाधीश](#), [कॉलेजियम प्रणाली](#)

मेन्स के लिये:

मौजूदा न्यायाधीश के इस्तीफे/कॉलेजियम के नैतिक नहितार्थ, कॉलेजियम प्रणाली का विकास और इसकी आलोचना।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

सेवानवृत्त के बाद [न्यायाधीशों द्वारा आधिकारिक पद स्वीकार](#) करने की प्रथा बहस का विषय बन गई है, विशेष रूप से हाल की घटनाओं के आलोक में जहाँ एक पूर्व न्यायाधीश न्यायपालिका से इस्तीफा देने के तुरंत बाद एक राजनीतिक दल में शामिल हो गए और न्यायिक आचरण पर सवाल उठाए।

भारत में सेवानवृत्त न्यायाधीशों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

■ संवैधानिक प्रावधान:

- [अनुच्छेद 124\(7\)](#): यह सर्वोच्च न्यायालय के सेवानवृत्त न्यायाधीश को भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष प्रैक्टिस करने से रोकता है।
 - इस प्रतिबंध का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखना है।
 - हालाँकि, संवैधानिक स्पष्ट रूप से सेवानवृत्त न्यायाधीशों को सेवानवृत्त के बाद के कार्य या नयुक्तियों स्वीकार करने से नहीं रोकता है।
- [अनुच्छेद 128](#):
 - भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की सहमति से, [सर्वोच्च न्यायालय की नयुक्त के लिये योग्य सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय या उच्च न्यायालय के एक सेवानवृत्त न्यायाधीश](#) से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने एवं कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं।
- [अनुच्छेद 220](#):
 - यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को "सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर भारत में किसी भी प्राधिकारी" के समक्ष दलील देने से रोकता है।

■ संबंधित मामले और सफारिशें:

- [बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ](#): सर्वोच्च न्यायालय ने एक [जनहित याचिका \(PIL\)](#) को खारजि कर दिया, जिसमें सेवानवृत्त न्यायाधीशों के लिये सेवानवृत्त के बाद की नयुक्तियों को स्वीकार करने से पूर्व [दो वर्ष की अनविर्य कूलिगि-ऑफ अवधि की मांग](#) की गई थी।
 - शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कूलिगि-ऑफ अवधि अनविर्य करना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
 - जनहित याचिका को खारजि करते हुए, न्यायालय ने [न्यायाधीशों के लिये सेवानवृत्त के बाद की नयुक्तियों को वनियमिति करने हेतु कानून](#) बनाने के महत्त्व को रेखांकित किया, जिससे मामले को संबंधित न्यायाधीश के वविक या वधायी हस्तक्षेप पर छोड़ दिया जाए।
- [14वाँ वधिआयोग: MC सीतलवाड](#) की अध्यक्षता वाले 14वें वधिआयोग ने सफारिश की थी कि न्यायाधीशों को सेवानवृत्त के बाद सरकार से नौकरी नहीं लेनी चाहिये; इसने [सेवानवृत्त के बाद कूलिगि-ऑफ अवधि](#) निर्धारित करने की भी सफारिश की।
 - हालाँकि, ऐसा कोई वशिष्ट नयिम नहीं है जो न्यायाधीशों को ऐसे पद स्वीकार करने से रोकता है।

न्यायाधीशों के लिये सेवानवृत्त के बाद की नयुक्तियों से संबंधित तर्क क्या हैं?

■ पक्ष में तरक:

- विशेषज्ञता का उपयोग: समर्थकों का तरक है कि न्यायाधीशों के पास मूल्यवान विशेषज्ञता और अनुभव है जो सरकार तथा सार्वजनिक सेवा कर्षेत्रों के लिये फायदेमंद हो सकता है।
 - सेवानवृत्त के बाद आधिकारिक पद स्वीकार करके, न्यायाधीश कानूनी सदिधांतों और न्यायिक प्रक्रियाओं की अपनी गहरी समझ के आधार पर नीति निर्माण तथा शासन में योगदान दे सकते हैं।
- आधिकारिक पदों पर सतयनषिठा सुनशिचति करना: सेवानवृत्त के बाद की नयुक्तियों के समर्थकों का तरक है कि न्यायाधीशों को उनके पूरे करियर में ईमानदारी के उच्च मानकों पर रखा जाता है और यह ईमानदारी आधिकारिक पदों पर उनकी भूमिकाओं में बनी रहने की संभावना है।
 - प्रमुख पदों पर सेवानवृत्त न्यायाधीशों की नयुक्ति से नैतिक मानकों को बनाए रखने और नरिणय लेने में नषिपक्षता का आश्वासन मलित्ता है।
 - वशिषिट ज्ञान की आवश्यकता वाली रक्तियों को पूरा करना: कुछ आधिकारिक पदों के लिये वशिषिट विशेषज्ञता या कानूनी जटलित्ताओं की समझ की आवश्यकता होती है, जो सेवानवृत्त न्यायाधीश प्रदान करने हेतु अच्छी तरह से सुसज्जति हैं।
 - ये नयुक्तियों यह सुनशिचति करती हैं कि महत्त्वपूर्ण पद कानूनी मामलों में गहरी जानकारी रखने वाले और प्रभावी शासन तथा प्रशासन में योगदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा भरे जाएँ।
- प्रतभिा को बनाए रखना: सेवानवृत्त के बाद नयुक्तियों की पेशकश यह सुनशिचति करती है कि कदिश अनुभवी न्यायवदिों के ज्ञान और कौशल को बरकरार रखा है।
 - यह न्यायिक दगिगजों को बेंच पर उनके कार्यकाल के बाद भी सार्वजनिक सेवा में योगदान जारी रखने की अनुमति देता है।

■ सेवानवृत्त के बाद की नयुक्तियों के वरिद्ध तरक:

- न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता करने का जोखमि: आलोचकों का तरक है कि सेवानवृत्त के बाद आधिकारिक पद स्वीकार करने से न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता हो सकता है, क्योंकि इससे नयुक्ति प्राधिकारी के प्रतपिपक्षपात की धारणा उत्पन्न हो सकती है।
 - यह बदले की भावना से न्यायपालिका में जनता के वशिवास को कम करता है और उनके कार्यकाल के दौरान लिये गए न्यायिक नरिणयों की नषिपक्षता पर सवाल उठाता है।
 - न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनरकथन न्यायिक आचरण में नषिपक्षता के महत्त्व पर ज़ोर देता है। न्यायाधीशों को न केवल न्याय देना चाहिये बल्कि यह भी सुनशिचति करना चाहिये कि उनके कार्यों से न्यायपालिका की नषिपक्षता में जनता का वशिवास कायम रहे।
 - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1997 में न्यायिक जीवन के मूल्यों की पुनरकथन को अपनाया, जो न्यायाधीशों के लिये नैतिक मानकों की रूपरेखा तैयार करता है।
 - यह नषिपक्षता, हतियों के टकराव से बचने, वत्तिलीय लाभ प्राप्त करने से परहेज करने और सार्वजनिक जाँच के प्रतपि सचेत रहने के महत्त्व पर ज़ोर देता है।
- हतियों के टकराव की संभावना: इस बात की चति है कि सेवानवृत्त के बाद की नयुक्तियाँ हतियों का टकराव पैदा कर सकती हैं खासकर यदि पूर्व न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान उनके फैसलों से नयुक्ति प्राधिकारी को लाभ होता है।
- इससे न्यायपालिका में जनता का वशिवास कम हो सकता है और साथ ही न्यायिक नरिणयों के पीछे की प्रेरणाओं पर संदेह भी उत्पन्न हो सकता है।
- न्यायपालिका को अस्थिर करना: इन नयुक्तियों को न्यायपालिका के अधिकार एवं अखंडता को धीरे-धीरे कम करके उसकी स्वतंत्रता को कमज़ोर करने की एक बड़ी रणनीति के हसिसे के रूप में देखा जाता है।
 - राजनीतिक नयुक्तियों के साथ न्यायाधीशों को लुभाकर, सरकार कार्यकारी शक्ति पर नरिंतरण के रूप में कार्य करने की न्यायपालिका की क्षमता से समझौता करने का जोखमि उठाती है।

पद	नयुक्ति प्रक्रिया
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)	<ul style="list-style-type: none"> ● अनुच्छेद 124 (2), राष्ट्रपति को CJI सहति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के तहत वारंट द्वारा नयुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है। ● नवित्तमान CJI आमतौर पर वरषिठता के आधार पर अपने उत्तराधिकारी की सफारशि करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश	<ul style="list-style-type: none"> ● इनकी नयुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ● प्रस्ताव CJI द्वारा शुरू किया गया है। CJI अन्य कॉलेजियम सदस्यों और संबंधित उच्च न्यायालय के वरषिठतम न्यायाधीश से परामर्श करते हैं, राय लखिति रूप में दर्ज की जाती है। ● सफारशि कानून मंत्री को भेजी जाती है, जो राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री को सलाह देता है।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	<ul style="list-style-type: none"> ● उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नयुक्ति संवधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा के CJI और संबंधित राज्य के राज्यपाल परामर्श के बाद की जाती है।

कॉलेजियम सिस्टम

- ◊ न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली
- ◊ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ, न कि संसद के एक अधिनियम द्वारा

न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी संवैधानिक प्रावधान

- ◊ अनुच्छेद 124 (2) और 217- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति
 - ◊ राष्ट्रपति "सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों" से परामर्श करने के बाद नियुक्तियाँ करता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे।
- ◊ लेकिन संविधान इन नियुक्तियों को करने के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास

- ◊ **प्रथम न्यायाधीश मामला (1981):**
 - ◊ इसने यह निर्धारित किया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** के सुझाव की "प्रधानता" को "ठोस कारणों" के चलते अस्वीकार किया जा सकता है।
 - ◊ इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिये न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है।
- ◊ **दूसरा न्यायाधीश मामला (1993):**
 - ◊ सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि "परामर्श" का अर्थ वास्तव में "सहमति" है।
 - ◊ इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी।
- ◊ **तीसरा न्यायाधीश मामला (1998):**
 - ◊ राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेजिडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) (अनुच्छेद 143) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें CJI और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)

- ◊ यह कॉलेजियम प्रणाली को बदलने का एक प्रयास था। इसने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की
- ◊ NJAC की स्थापना 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा की गई थी
- ◊ लेकिन NJAC अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया गया

आलोचना

- ◊ अपारदर्शिता
- ◊ भाई-भतीजावाद की गुंजाइश
- ◊ कार्यपालिका का बहिष्करण
- ◊ नियुक्ति की कोई पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नहीं



आगे की राह

- **वधायी कार्रवाई:** सरकार को न्यायालयों के न्यायाधीशों हेतु सेवानिवृत्त के बाद के कार्यों को वनियमिति करने के लिये एक व्यापक कानून नरिमाण को प्राथमकता देनी चाहयि।
 - इस कानून को न्यायकि स्वतंत्रता को बनाए रखने के लयि स्पष्ट दशिा-नरिदेश स्थापति करने चाहयि, जसिमें कूलगि-ऑफ अवधि और कुछ नयुक्तयिों पर प्रतबिंध के प्रावधान शामिल हों।
- **न्यायपालकि के साथ परामरश:** कानून का मसौदा तैयार करने से पूरव सरकार को यह सुनशिचति करने के लयि न्यायपालकि, कानूनी वशिषज्जों तथा हतिधारकों के साथ सार्थक परामरश करना चाहयि कप्रस्तावति नयिम संतुलति और प्रभावी हों।
- **वरिम अवधि का कार्यानवन करना:** भारत के वधिआयोग द्वारा अनुशंसति वरिम अवधि (Cooling-Off) अवधि लागू करने पर वचिर कयि जा सकता है।
 - यह अवधि न्यायाधीश की सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त के बाद की संभावति नयुक्तयिों के बीच एक बफर प्रदान करेगी, जसिसे हतिों के टकराव का जोखमि कम हो जाएगा।
- **न्यायकि नैतकिता और आचार संहति:** न्यायपालकि को नैतिक मानकों को बनाए रखने और न्यायकि प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने की अपनी प्रतबिद्धता को सुदृढ़ करना चाहयि।
 - अनौचित्य की कसिी भी स्थति की रोकथाम के लयि सेवानिवृत्त के बाद की नयुक्तयिों के संबंध में न्यायाधीशों के लयि स्पष्ट दशिा-नरिदेश और आचार संहति स्थापति की जानी चाहयि।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख:** अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों से सीख लेते हुए भारत न्यायाधीशों के लयि सेवानिवृत्त के बाद के कार्यों को वनियमिति करने के लयि अन्य देशों के दृष्टिकोण को अपना सकता है।
 - **संयुक्त राज्य अमेरिका** में हतिों के टकराव को रोकने के लयि **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु आजीवन कार्यरत रहने का प्रावधान** है।
 - यूनाइटेड किंगडम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 70 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त के बाद की नयुक्तयिों ग्रहण करने से प्रतबिंधति करने के संबंध में कोई कानून नहीं है कति न्यायाधीशों द्वारा प्रायः ऐसा कयि नहीं जाता है।
 - तुलनात्मक अध्ययन और वैश्वकि वधि वशिषज्जों के साथ भागीदारी घरेलू नयिमों को परषिकृत करने के लयि मूल्यवान अंतरदृष्टि प्रदान कर सकता है।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त के बाद की नयुक्तयिों के संबंध में वधायी उपाय, न्यायकि इनपुट और वरिम अवधि न्यायकि अखंडता को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारतीय न्यायपालकि के संदरभ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2021)

1. भारत के राष्ट्रपति की प्रवानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त कसिी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है।
2. भारत में कसिी भी उच्च न्यायालय को अपने नरिणय के पुनरवलोकन की शक्ति प्रापत है, जैसा क उच्चतम न्यायालय के पास है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

??????????:

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालकि के न्यायाधीशों की नयुक्ति के संदरभ में 'राष्ट्रीय न्यायकि नयुक्ति आयोग अधनियिम, 2014' पर

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/debate-on-post-retirement-appointments-for-judges>

